

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कोर्ट मुकाम इंश

गुलनचंद बनाम रामकुमार

क्रिस्म मुकदमा शाका नं. 41 सन 31.05.2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

31 ⁵/₂₀₂₂ वादीगण के अधिवक्ता श्री डी. नू. पू. शर्मा द्वारा वाद चला किताब गण/वाद दर्ज नंबर 22 क्रिमा जावे/प्रतिवादीगण के नोटिफर जारी होक पत्रावली दिनांक 7-7-2022 को पेश हो।

10/06/22
1497-1501
20/6/22

7 ⁷/₂₀₂₂ आज PO साहब अन्य काम में/मीटिंग/दोरे में/बार द्वारा कार्यस्थगित होने से तपेशों दी गई। मत आदेशों की फालना में दिनांक 29-7-2022 को पेश हो। तत्काल नामा पेश किये गए जो आदिवादीगणों किताब गण

28 ⁷/₂₀₂₂ आज PO साहब अन्य काम में/मीटिंग/दोरे में/बार द्वारा कार्यस्थगित होने से तपेशों दी गई। मत आदेशों की फालना में दिनांक 8-8-2022 को पेश हो।

4 ⁸/₂₂ पत्रावली में वकील वादीगण द्वारा शर्चना पत्र मिसल-तलबी पेश कर पत्रावली के नियत दिनांक 18-08-22 से पूर्व पेश किये हेतु विवेक किया। तत्पश्चात पत्रावली गिपत दिनांक से तलब कर पेश की गई। वादीगण द्वारा मय अधिवक्ता उपस्थित होकर वाद विद्दी करे बाबत शर्चना पत्र पर वादीगण अधिवक्ता को सुना गया। शर्चना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी समझौते से राजीनामा होने के कारण वादीगण वाद को आगे न चलाकर विद्दी करना चाहते हैं। अतः वादीगण का विद्दी शर्चना पत्र स्वीकार किया जाता है।


वादीगण
शर्चना पत्र
कि स्वीकार
प्र. 20/6/22
(डायनामिक)
प्रतिवादीगण
लक्ष्मी शर्मा
पेश देवी
31/8/22

नाद को नोट
दिनांक 08/08/22
करना
31/8/22

तारीख हुकम	मूलचक्र जंड रामकुमार हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज हावातं 41/2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	---	---

वादीगण द्वारा प्रकरण को आगे नहीं चलाने का
विद्यो करने के कारण वादीगण का वाद खारिज
दिया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से
कम होकर बाद तकमिल प्रविण लेख भंडार है।


सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा